राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1 अपील संख्या – 825/2008/अलवर.
2 अपील संख्या – 971/2008/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स निर्मल इण्डस्ट्रीज लि0,
एमआईए, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री बी के मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ पी गुप्ता,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/09/2015

निर्णय

उक्त दोनों अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या क्रमशः 410/उपा–भरत/05–06/सीएसटी व 401/उपा–भरत/05–06/सीएसटी में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.209.2007 व 20.12.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 24.02.2006 व 28.02.2007 को प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2003–04 व 2004–05 का केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत क्रमशः रू0 774537/– व रू0 665057/– का अधिक सैटऑफ क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सेटऑफ क्लेम को वसूली योग्य माना गया व नियमानुसार इस राशि पर ब्याज आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण संख्या 825/2008 में 'एफ' फार्म पेश नहीं करने पर कर व ब्याज भी आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलो को अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के आलोक में प्रकरण संख्या 971/2008 को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया तथा प्रकरण संख्या संख्या 825/2008 को

24-9-2015 -302

लगातार.....2

स्वीकार की गई । प्रत्यर्थी द्वारा "एफ" फार्म के बिन्दु को प्रेस नहीं करने के कारण इस बिन्दु को खारीज कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के इन आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपीले पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया कि अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 में स्पष्ट है कि व्यवहासी को राज्य में सरसों के क्रय पर चुकाये गये कर पर उसके द्वारा राज्य में विनिर्मित तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देयता में से 1 प्रतिशत का सेट ऑफ प्रदान किया जायेगा। विभागीय पैराकार का कथन है कि चुंकि व्यवसाई द्वारा प्रोत्साहन योजना 1998 के तहत लाभ लिया जा रहा है तथा आलौच्य अवधि में अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देयता 0.40 एवं 0.60 प्रतिशत है। अतः उसे उसकी कर देयता की सीमा से अधिक राशि का सेट आफ नहीं दिया जा सकता इसलिये रिफण्ड देय नहीं बनता है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विभागीय अपील अस्वीकार करते हुए विधिक भूल की है अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 2 प्रतिशत की कर दर से सरसो (तिलहन) की खरीद की है तथा अधिसूचना दिनांक 22.01.2002 के अनुसार व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री करने पर 1 प्रतिशत कर का सेटऑफ प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी अधिसूचना दिनांक 22.01.2002 की सभी शर्तो की पूर्ति करता है, जिसके अनुसार सेटऑफ खरीद पर है न कि बिक्री पर। प्रत्यर्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि प्रकरण संख्या 971/2008 में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2007 को आदेश पारित कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था इस प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2007 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक **23.04.2008** को पारित किया जा चुका है, जिसकी अंकन कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका का पृष्ठ संख्या 8 पर है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक

24.9.2015

लगातार.......................3

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्व की उक्त अपील निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का व अधिसूचना दिनांक 22.01.2002 का अवलोकन किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी व्यवहारी प्रोत्यसाहन योजना 1998 का लाभ ले रहा है चुंकि अर्न्तराज्यीय बिक्री पर कर देयता 0.40 प्रतिशत व 0.60 प्रतिशत है तथा उसकी कर देयता से ज्यादा का सेटआफ नहीं दिया जा सकता के आधार पर सेटऑफ का लाभ प्रदान नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.01.2002 के आलोक में यह अंकित करते हुए कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.01.2002 का विश्लेषण उचित नहीं किया है तथा इस अधिसूचना में यह कही भी अंकित नहीं है कि प्रतिशत का विभाजन करते हुए लाभ कम किया जा सके। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों में विधिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालना की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का कोई आधार नहीं है।

जहां तक प्रकरण संख्या 971/2008 का प्रश्न है। अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 20.12.2007 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आदेश दिनांक 23.04.2008 पारित कर दिया गया है। अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात अब प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः अपील संख्या 825/2008/अलवर में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपील संख्या 971/2008 सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

24.9.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(बी के मीणा)
अध्यक्ष